(English translation of committee report in hindi)

SITE VISIT INSPECTION REPORT

(NGT case no 37/2020 (CZ))

As per direction of Hon'ble National green tribunal Central zonal bench Bhopal in the matter of OA no 37/ 2020 order dated 9-7-2020, the Collector district Damoh has formed a committee of Sub divisional magistrate damoh , mining officer Damoh and representative of MP pollution control board. The committee having member Ms Bhabya tripathi SDM, Shri Ravi Patel Mining officer Damoh and Dr Rajesh Jain , Chief Chemist MP Pollution control Board Sagar visited the site of Applicant shri Varun thakur on 18-08-2020 in village kervana tah Batiagarh distt damoh at khasara no 239/2 area 1.20 hectares. During inspection the villagers of the area informed that land of khasra number 239/ 2 in village kervana which was in the form of a high rise ground and Sri Varun thakur has purchased the land from Mr sahu resident of village majgava. Electric line of 440 volt is over the land with electric poles are present on the land. Local residents along with farmer shri Mahesh Dubey informed that , soil of this high rise ground was excavated to convert land suitable for agriculture purpose some 3 years back. The land is being used for agriculture and it is being cultivated by shri Mahesh Dubey who has taken the land on lease from land owner shri Varun thakur for agriculture purpose . Soyabeen is being cultivated at present

A nala is following in the west direction of land is not diverted and flowing naturally. No deep pit of 30-35 feet found at site and high voltage HT line of 33000 Volt is also not present at site which is mentioned in the application.

Committee observed that soil excavation was done on land in the past of size approx 174 m x 120 m x4 m (approx 83520 m3). Teak plants (small) approx 10-15 are also present in the land.

Date- 18-08-2020

Bhavya Tripath	Ravi Patel	Dr R K Jain
SDM Damoh	Mining Officer Damoh	Chief Chemist, MPPCB Sagar

Enclosures

1- Enclosure 1- collector letter for committee dated 18-08-20
2- Enclosure 2- site visit report of committee (Hindi)
3- Enclosure 3-Panchanam of committee and others at site
4- Enclosure 4- Letter of Vinay purohit , irrigation department.
5- Enclosure 5- Site visit photographs.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह म0प्र0

दमोह, दिनांक 18 /8/2020

निज/2020

"आदेश"

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 37/2020 (वरूण ठाकुर विरूद्ध ासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09/07/2020 का अवलोकन हो, (आदेश की छायाप्रति संलग्न े मुख्य अंश निम्नानुसार है–

1.This application has been filed against the illegal mining done by the respondent no.6 on land bearing Khasra No. 239/2, Rakba No. 1.20 ha. Village Kerbana, District Damoh, M.P. ndent no. 6 had done illegal mining and created 30-35 ft. depth/pit (whole in ground) on the land, due to this the natural flow of drainage/Barsati nala of the locality are fully disturbed. ndent no.6 also cut the large number of trees (Sagwan three) planted by the applicant on his over, due to the above said illegal mining, the base of electric poll of the High Tension wire lt) are also very weak and these electric polls of High Volt Power wire can be fell down at The entire ecology system in the area, nature and environmental atmosphere are badly

2. We deem it just and proper to call a report from a Joint Committee consisting of:-

(1)District Magistrate, Damoh;
(2)Mining Department, Damoh;
(3) State Pollution Control Board (SPCB)

The Committee is directed to visit the place and submit the action taken report within six he State PCB will be the nodal agency ofr coordination and logistic support.

ः उक्त आदेश के पालन में निम्नानुसार संयुक्त जांच दल गठित किया जाता है–

1. क्षेत्रीय प्रमुख मध्यप्रदेश नियंत्रण बोर्ड सागर (नोडल अधिकारी)
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)पथरिया (कलेक्टर प्रतिनिधि)
3. खनिज अधिकारी दमोह (कलेक्टर प्रतिनिधि)

क्त संयुक्त जांच दल संयुक्त रूप से माननीय हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण /2020 (वरूण ठाकुर विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 9/07/2020 के पालन में ुसार कार्यवाही कर जॉच प्रतिवेदन से माननीय न्यायालय हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच को राना सुनिश्चित करे।

र महोदय द्वारा आदेशित)

खनिज अधिकारी,
वास्ते कलेक्टर दमोह

दमोह, दिनांक /8/2020

/खनिज/2020/700, 816, 817

1. कलेक्टर महोदय जिला दमोह की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय प्रमुख म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड सागर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी पथरिया को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

खनिज अधिकारी 18/8/20
वास्ते कलेक्टर दमोह

O/C

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्र0 37/2020 द्वारा दिनांक 09.07.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित ज्वाइंट कमेटी के सदस्य (1)जिला मजिस्ट्रेट दमोह के प्रतिनिधि एस.डी.एम. पथरिया भव्या त्रिपाठी, खनिज अधिकारी रवि पटैल एवं म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड सागर के प्रतिनिधि चीफ केमेस्ट डॉ. राजेश जैन द्वारा दिनाक 18.08.2020 को स्थल का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान ग्राम वासियों के द्वारा बताया गया कि , भूमि खसरा नं0 239/2 रकवा 1.20 हे0 जो ग्राम केरवना तहसील बटियागढ जिला दमोह में स्थित है ,जो पूर्व में टीले के रूप में थी। वर्तमान में भूमि स्वामी वरूण ठाकुर द्वारा किसी मझुगवां निवासी साहू से कय कि गई थी। उक्त भूमि केऊपर विद्युत की 440 बोल्ट की लाइन तथा बिजली के खम्भे आज भी स्थित हैं । भूमि पर विजली के खम्मो की जगह छोडकर भूमि को खेती के अनुसार बनाये जाने हेतु मिट्टी का लगभग 4 मीटर गहरा उत्खन्न किया गया। जिसकी कोई अनुमति नही ली गई , वर्तमान में समतल भूमि पर ग्राम के महेश दुवे द्वारा भूमि स्वामी वरूण ठाकुर से जमीन किराये पर लेकर खेती की जा रही है। जिसके निरीक्षण के दौरान सोयाबीन की फसल पाई गई है। भूमि के पश्चिम में नाला है। जिसके प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है। स्थल पर वर्तमान में 30–35 फीट के गड्डे नहीं पाये गये एवं न ही 33000 बोल्ट एच.टी. लाईन मौके पर नही पाई गई। तथा मौके पर उत्खनित खनिज मिट्टी की लगभग मात्रा 174 मीटर से **x** 120 मीटर चौड़ाई **x**4 मीटरऊचाई =83520 घन मीटर मिट्टी का उत्खन्न होना प्रतीत होता है। वर्तमान में खेत में स्थित मिट्टी के टीलो पर छोटे सागोन के 10–15 वृक्ष पाये गये।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ

संलग्न :– 1–मौका पंचनामा 2–स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ

[signature] BHAVYA TRIPATHI SDM, PATHARIA

[signature] (M.O) 18/8/20 Ravi Patel

[signature] 18/8 Dr R.K. Jain

पंचनामा

पंचनामा लिखा गया कि आज दिनांक 18/08/2020 को ग्राम करवना प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. खडेरी तहसील बटियागढ़ के ख.नं. 239/2 रकबा 1.02 हे० वरुण सिंह के खेत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर वर्तमान में सोयाबीन की खेती पायी गयी जिसमे महेश दुबे द्वारा किराये पर वरुण ठाकुर से भूमि लेकर कृषि की जा रही है खेत के पश्चिम में लगा हुआ नाला है जिसका प्रवाह में परिवर्तन नहीं है। खेत दो मिट्टी के टीलों के बीच में स्थित है जिससे ~~प्रश~~ दुबे महेश दुबे द्वारा बताया गया है कि तीन साल पूर्व मिट्टी निकाली गयी थी स्थल पर वर्तमान में 30-35 फीट के गड्डे नहीं पाये गये एवं 33000 वोल्ट HT लाइन मौके पर नहीं पायी गई मौके पर उत्खनित खनिज मिट्टी की मात्रा 174 × 120 मी॰ × 4 मी॰ = 83520 m^3 मिट्टी का उत्खनन होना प्रतीत होता है। वर्तमान मे खेत के टीलों पर छोटे सागौन के 10-15 वृक्ष (छोटे) पाये गये तथा उपस्थित लोगों के समक्ष पंचनामा सुनाया गया।

(signature)
डा. राजेश जैन
मु. रसायनज्ञ म.प्र.प्र.नि.बो
सागर

(signature)
Bhawya Tripathi
SDM, Pathalia
Collector's Representative

(signature) 18/08/2020
प.ह.नं. 57
नाम: अंशुमान सिंह
पद: पटवारी
(signature)

[illegible] (Mining officer)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सागर।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्र.क. 37/2020 के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्र. 543 दिनांक 05.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग अन्तर्गत हमारे कार्यालय बीना प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सागर द्वारा वर्तमान में पंचम नगर पारियोजना अन्तर्गत प्रेशराईज पाईप लाईन की लेईंग का कार्य चल रहा है। उक्त परियोजना का कार्यक्षेत्र तहसील–बण्डा, पथरिया एवं बटियागढ़ अन्तर्गत आता है।

माननीय एनजीटी प्रकरण क्र. 37/2020 में वरूण ठाकुर द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है कि, उनकी भूमि ग्राम–केरबना खसरा नं. 239/2 में जल संसाधन विभाग द्वारा अवैद्य उत्खनन कराया गया है, इस संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. कार्यालयीन रिकार्ड के अनुसार पंचम नगर पारियोजना जल संसाधन विभाग दमोह/कार्यालय बीना प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सागर द्वारा अथवा प्रतिवादी क्र. 06 या अधीनस्थ ठेकेदार के माध्यम से विगत् 05 वर्षो में याचिकाकर्ता श्री वरूण ठाकुर की भूमि में कोई भी उत्खनन कार्य अथवा किसी भी प्रकार के वृक्ष/पेड़ों की कटाई का कार्य नहीं कराया गया है तथा न ही उत्खनन एवं वृक्ष/पेड़ों की कटाई कराने हेतु किसी संविदाकार या अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
2. पंचम नगर परियोजना कार्य के अन्तर्गत सिंचाई हेतु पाईप लाईन बिछाने का कार्य किसानों के खेत में उनकी सहमति प्राप्त करने के उपरांत किया जाता है तथा यह पाईप लाईन जमीन की सतह से 1.2 मीटर नीचे बिछाई जाती है।

याचिकाकर्ता श्री वरूण ठाकुर के खसरा नं. 239/2 में किसी भी प्रकार के पाईप लाइन लेईंग का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

Vinay Rohit 05/09/2020

(विनय रोहित)
सहायक परियोजना प्रबंधक,
बीना पीएमयू, जल संसाधन विभाग सागर म.प्र.

Land of Varun Thakur Kh. No. 239/2